

**आदेश**

**प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद**

**उत्तर प्रदेश सरकार**

संख्या:- प्राविण/परीषद/सम्बद्धता/2021/3537

संख्या:- दिनांक: 08/08/2021

**आदेश का विषय:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालय काउन्सिल ऑफ इजिप्शियन, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना सं. 2021-22 हेतु किलोवा तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता सम्बद्धता किलवा प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सं. 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से स्थापित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करना प्रेषित समता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए सं. 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में सि. वी. चक्रवर्ती के अनुमोदन से निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. सरकार द्वारा सं. 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उन्नी अंकित प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का पते एवं नाम : 4018-MKA LAWANGI BUDHIYA COLLEGE OF PHARMACY VILL-CHAKRA BASU NAGAR, POST-DARGAAH, TEHSIL-MADHUBAN, MAU-276306

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	संस्था का पता एवं नाम	परीषद द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश समता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	सं. 4018-MKA LAWANGI BUDHIYA COLLEGE OF PHARMACY VILL-CHAKRA BASU NAGAR, POST-DARGAAH, TEHSIL-MADHUBAN, MAU-276306	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था सं. 4018-MKA LAWANGI BUDHIYA COLLEGE OF PHARMACY VILL-CHAKRA BASU NAGAR, POST-DARGAAH, TEHSIL-MADHUBAN, MAU-276306 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों को पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट, 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली, 1992, रेगुलेशन विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित विनियम एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क सीमा सीमा हेतु सं. 20150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु सं. 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक परीक्षा पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु सं. 24500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही पर्येक वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त आवश्यकताओं से शुल्क के सम्बन्ध में समत-समता पर आसन्न दिनांक निर्धारित किये जाने वाले कार्यक्रमों पर ध्यान देने, और संतुल्यता कार्यालय स्थित अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समिति द्वारा एडि. नं. 2021-22 हेतु शिक्षा का अनुमोदन किया जाता है, जो फीस की सर्वोत्तम दरें लागू होंगी।

*(Handwritten signature and stamp)*

- ✓ संस्था को (1000) प्राथमिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता। विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को संस्था-समय पर निम्न शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0अ0ई0 से जगामी स्तर हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशांक, प्राथमिक शिक्षा, 3040, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3040 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 3040 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने का जिम्मेदार होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम की शायर यदि पी.सी.आई. लई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो उस संस्था में समस्त उत्तराधिकार संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद टकरा किया जाता है तथा टाकरा वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति रखी जायेगी तब तक संस्था को उत्तरदायी नहीं माना जायेगा।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम में शामिल करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0सी0अ0ई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कायमों को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की काउन्सिलिंग के माध्यम से अपना संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेश नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक धृष्टि भूमि, स्टाफ, छात्र-छात्रा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-व्यवस्था हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिस्टर टोकनों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित स्थापित पाठ्यक्रम को पढ़ाये जाने हेतु निर्देशालय समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-संज्ञ, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थायी निरीक्षण टीम यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य छात्र-छात्रा ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0अ0ई0/परिषद के तर्जनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता वाली का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विमानुसार (अनुशासनात्मक कार्यवाही) की जायेगी।

  
 COLLEGE OF EDUCATION  
 UNIVERSITY OF DELHI  
 DELHI

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पुणसं- प्राविपारिषद सन्चदर/2021/3538-4899

दिनांक: 09/08/2021

पत्रासिद्धि:-

इंस्टीट्यूट/सिद्धि MAA LAWANGI BUDHIYA COLLEGE OF PHARMACY VILL-CHAKRA BASU  
NAGAR, POST-DARGA AH, TEHSIL-MADHUBAN, MAU-276306



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव



MAA LAWANGI BUDHIYA  
COLLEGE OF PHARMACY  
VILL-CHAKRA BASU  
NAGAR, POST-DARGA AH, TEHSIL-MADHUBAN, MAU-276306

## कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार।

संख्या- प्रावि9/परिषद संघ09/सम्बद्धता2022/10770

संलग्नक- दिनांक: 12/12/2022

### कार्यालय जाय:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मिकों का सम्मिलित और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा तारीफ तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0900 080808 से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघोषित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य गणों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थानों को सम्बद्धता पूर्व तत्समय पीएसीआईए द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अनुसार प्रेषित कर दिया गया था।

पीएसीआईए के पत्र संदर्भ संख्या 14-443-2022-PCIA Approval Process 2022-2023 VI 4705-09 दिनांक 03 मई 2022 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत संस्थानों से पूर्व में इंगित कमियों के निराकरण का विवरण एस0आर0एफ0 पर उपलब्ध करते हुए निर्धारित प्रारूप पर शायद पर दायित्व करने के लिए गए निर्देशों के अनुपालन में इन अभिलेखों के साथ, साथ प्रारूप पर नोकर रहल की गई प्रवेश क्षमता की सम्बद्धता इस बात के साथ प्रदान की जाती है कि भविष्य में संस्था के निरीक्षण के समय एस0आईएफ0 का संस्थापन कराता होगा।

संस्था का कोड एवं नाम : 4018-MAA LAWANGI BUDHIYA COLLEGE OF PHARMACY

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	पीएसीआईए द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु प्रदान संघोषित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	90

### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एस0आईएफ0/पीएसीआईए द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1982, विनियमकारी-2000, सेमेस्टर विनियमकारी-2016 तथा समय-समय पर निर्मित शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इवी0 पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और उपरोक्त कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा पदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जात है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में अनुष्ठित सौक्य परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित शासनादेशों के अनुपालन निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिसिमा/अधिसिमा/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0900, 080808 प्रवेश परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0900 द्वारा बनाये गये नियमों, विधियों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थानों का एडमिशन/टीचिंग/परीक्षा/अर्थ से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस समय में समस्त उपरोक्तित्व संस्था का शेष और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संकाय कार्य उत्तरदायी होगा। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं एजिटिव शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई कदम चलाया जाता है तथा चरण चरण के समय में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति सहायी अर्थोप निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अधिसूचित प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदनित प्रारंभ होने के पूर्व एडमिशन/टीचिंग/परीक्षा/अर्थ से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (आवृत्तित्व के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर) प्रतिपूर्ति अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, भवन विषय आने वाला सुक, छात्रावास सुक आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ टैगिंग टैकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, चर्नीयर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के ओवरकॉमिंग निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य छात्र-संख्या एडमिशन/टीचिंग/परीक्षा/अर्थ/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

*Khan*

(एफओआरओ खान)

सचिव

15/12/2022

फ़ोन- प्राथमिक परिषद सचिव सम्बद्धता/2022/10771-11058

प्रतिष्ठिति-

प्रधानाचार्य/निदेशक, MAA LAWANGI BUDHIYA COLLEGE OF PHARMACY

*Khan*

(एफओआरओ खान)

सचिव

# कार्यालय

## राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद

### उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राविषा/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ दिनांक- 12-09-2023

### कार्यालय आदेश

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं कार्मेली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मेली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4018-MAA LAWANGI BUDHYA COLLEGE OF PHARMACY			
क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एच.आई.एन.सी/टी.ई.ई.टी/ पी.सी.ई.आई. द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	50

### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राथमिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/18-309879/2022 टी.ई.सी.-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संसक्ति प्राप्त संस्थानों को जिन के विरुद्ध मालीय न्यायालय में पंजीत रिट याचिका संख्या 5027/2023 में मन्त्रीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन संबद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मेली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मेली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के समुदाय संस्थान में समस्त संस्थाएं (एम. भवन, लैब उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एएन 1882 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1882, विनियमावली-2000, केमिस्ट्री विनियमावली-2018 तथा समस्त-उपग्रह पर निर्मित शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा सूक्त निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सूक्त टी प्रयोग आवश्यकता से जांच किया जाएगा। उपरोक्त के अधीनस्थ प्राध्यापकों में सूक्त के सम्बन्ध में समस्त-समय पर साधन द्वारा निगरानी किये जाने वाले साक्षात्कार जमायी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही निम्न आदेश अन्तर्गत होगी। पीएम निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु पीएम का पूर्णतः अनुपालन किया जाता है, तो पीएम की सर्वतन्त्रता पर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों को भी पूर्णतः दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समस्त-समय पर निर्णय सल्लाहकार के अनुसार निर्देशित एवं सम्बद्धता सूक्त जमा करना होगा।
- ✓ संस्थाएं जिनके प्रदेश शासन द्वारा निर्मित विनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं विदेशिक, प्राथमिक शिक्षा, उद्देश्य, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, लखनऊ तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा बनाये गये निर्णयों, विनियमों, अधिदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये सामर्थ्यवती हैं।
- ✓ यदि संस्था का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मेली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन विस्तार निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त-उपरोक्तित संस्था का देश और विदेशिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिये समस्त-समय उत्पाद्यता होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा विनियमन एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध कोई न्यायिक कार्य

- ✓ किन्तु यह है कि इन सब के संबंध में मा. वाकल्प द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी कोई भी किन्तु यह है तो संस्था प्रोत्साहित नहीं होगी।
- ✓ संस्था को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु वाकल्पित प्रवेश होने के पूर्व संबंधित भारतीय जूनियर की शिक्षा परिषद/कार्यकारी समिति/अधीनस्थ, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद/कार्यकारी की उपस्थिति में प्रवेश परीक्षा प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु वाकल्प-समय पर निर्दिष्ट सर्वोत्तम आरक्षण विभागों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राथमिक शिक्षा के दूरदर्शन पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रति भूति, स्वरूप, कार्य-प्रकार, उपस्थिति, प्राप्त किया जाने वाला दस्तावेज, सम्पत्ति दस्तावेज आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-पधिकाय हेतु उपयुक्त षांताकार्य उपलब्ध करने के साथ प्रेषित करने के संबंध में संस्था आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रशासित/संचालित परिसरों को प्रयोग करने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कक्षाएं एवं परिसरों, भूमि-भार, परिसर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परिसरों के संवर्धन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था/संस्थान का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा (समिति) और उपसमितियां, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाता) विनियमन, 2000 के प्रावधानानुसार परिषद की स्वीकृति पर अपने कार्यवाही, भवन और परिसर को परिषद को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रहेगी।
- ✓ संस्था के जीवन-स्वीकृत निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, परिसर, उपकरण एवं अन्य सम्पत्तियां १०-भा/१०सी/१०टी/१०बी/१०सी/१०टी/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जायक है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाये जायक शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निर्यातानुसार अनुसूचित/संयुक्त कार्यवाही की जायेगी।



(अशुतोष कुमार मिश्र)

सचिव

पुस्तक- प्राशिया/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिष्ठिति-

प्रधानाचार्य/निदेशक MAA LAWANGI BUDHIYA COLLEGE OF PHARMACY



(अशुतोष कुमार मिश्र)

सचिव